

न्यायालय तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी—श्री गिराज प्रसाद बंसल तहसीलदार बयाना)

प्र०स० 84/20 ता० रजु. 6-1-20 किरम मुकदमा 91 एलआर एक्ट निर्णय दिनांक 4-2-20

सरकार

बनाम

सरदार पुत्र ग्यारदा मीना खटावली तह० बयाना जिला—भरतपुर।

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का खटावली ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि ग्राम खटावली के खसरा न० 556 रकबा 0.17 हैक्ट में से रकबा 0.17 हैक्ट किरम भूमि खटावली पर सम्बत 2076 में श्री सरदार पुत्र ग्यारदा मीना खटावली तह० बयाना ने सरको कर अतिक्रमण कर लिया है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जो शामिल मिसिल है। अप्रार्थी बाबजूद सूचना अनुपरिधत अतः अतिक्रमी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अप्रार्थी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही अमल में लायी जाना आवश्यक है। अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नम्बर 556 रकबा 0.17 हैक्ट वाले ग्राम खटावली से बेदखल किया जाता है। लगान 2.72 का 50 गुणा पैनल्टी राशि 136 रुपये से दण्डित किया जाता है। पैनल्टी की मांग कायमी टी०आर०ए० हाजा से कराई जावे। पैनल्टी वसूली एवं फसल नीलामी हेतु पटवारी हल्का एवं भू-अभिलेख निरीक्षक को आदेश जारी हो।

पत्रावली फ़ैसल शुमार हो। बाद तकमील नम्बर से कम हो। दाखिल दपतर हो। निर्णय आज दिनांक 4-2-2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

इस पत्रावली को मांग नामकी
श. जे. सं. 04 क. मे. सं. 82
दिनांक 5/2/20 का 2019-20
दि. पैनल्टी रु. 136
क. का जो फसल नीलामी

पीठासीन अधिकारी
तहसीलदार बयाना

तहसीलदार
बयाना (भरतपुर)

